राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

कमांक: एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 11.5.2015

<u>संशोधित बैठक कार्यवाही विवरण</u>

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 11.5.2015 में दिये गये निर्देश निम्नानुसार है:–

1. विभाग की प्रगति 61.52 प्रतिशत रही है जो कि गत वर्ष से. लगभग 4 प्रतिशत कम प्रगति है। शासन सचिव महोदय द्वारा नाराजगी जाहिर की गयी तथा वर्ष 2015–16 में कार्य योजना बनाकर व्यय 100 प्रतिशत से रखने के निर्देश दिये गये। जिन योजनाओं में कमी है उन योजना प्रभारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
   a. बीएडीपी योजना में अनिवार्य रूप से समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
   b. मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के लिए Doit से वैबसाईट डवलप करायी जाये।
   c. सभी योजनाओं में दिनांक 1.4.2014 से पहले की समस्त पैन्डिंग एवं अप्रारम्भ कार्यो की कार्यवार सूची 20 मई 2015 तक उपलब्ध करायी जाये।
   d. डांग, मगरा एवं मेवात योजना के दिनांक 20 मई 2015 तक जिलों से प्रस्ताव प्राप्त किये जाये और 25 मई 2015 तक मा0 मंत्री महोदय, ग्रा.वि.एवं पं.राज से अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(समस्त अधिकारी)

2. विभाग में कार्मिकों द्वारा गत माह में किये गये कार्यो की कम्प्यूटर पर जनरेट की गयी ईऑफिस डिटेल प्रस्तुत की जायेगी।

(समस्त अधिकारी)

3. विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को कम्प्यूटर संचालन प्रशिक्षण जून माह में प्रस्तावित किया गया है। इनके आदेश जारी कर ट्रेनिंग कराया जाना सुनिश्चित करें।

(संयुक्त शासन सचिव, प्रशा0)

4. सांसद एवं मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में Criticle Gaps के लिए प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग से राशि मांगी जाये।

(परि0निदे0–एसएपी)

5. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास द्वारा जिलों में दर निर्धारण के कार्य का मॉनिटर किया जाएगा। दर निर्धारण की बैठक में जहां तक संभव हो जिले का प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहेगा।

(एसई.ग्रावि, समस्त योजना प्रभारी)

6. पंचायत समिति स्तर पर सामग्री कय का टेण्डर हुआ या नहीं इसकी मॉनिटरिंग वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग द्वारा की जायेगी।

(वित्तीय सलाहकार)

7. विभाग द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विकास अधिकारियों को जारी नोटिसों का निस्तारण कराया जाये।

(संयुक्त शासन सचिव, प्रशा0)

8. निम्न योजना प्रभारियों द्वारा माह मई में किये जाने वाले कार्यों की योजनावार सूचना तैयार कर प्रस्तुत की जाये।

क.सं.	नाम/पदनाम	योजना
1	श्री उज्जवल राठौड, संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन)	1.संस्थापन 2.विधानसभा/लोकसभा/राज्यसभा 3.लोक सूचना अधिकारी से संबंधित कार्य 4.आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्य 5.विधि एवं वैधानिक कार्य 6.सतर्कता संबंधी मामले 7. ट्रैनिंग
2	श्री गोपाल लाल माथुर, अति0मुख्य अभियन्ता एवं परि.निदे. (एसएपी–एसएस)	1. महात्मा गांधी नरेगा योजना के अभियान्त्रिकी कार्य 2. ग्रामीण कार्य निर्देशिका 3.मरू विकास 4. गुणवत्ता संबंधी मामलों की जांच
3	श्री के.के.शर्मा, अधीक्षण अभिन्ता (आईएवाई)	1.ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2. बीएसआर 3. बंद योजना
4	श्रीमती मीता शर्मा, निदेशक, (सामाजिक अंकेक्षण)	1. सामाजिक अंकेक्षण
5	श्री के.एल.सेवानी, प्रोग्रामर	आई.डब्ल्यू.एम.एस

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
2. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
3. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परि0निदे0एवं पदेन उप सचिव(सीएसएस) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)